न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 196 / 2024 निर्णय दिनांक 05.11.2024

ऑनलाईन नम्बर 2024 / 411

भंवरलाल पुत्र श्री रावतमल जाति रिंधी निवासी श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर हाल 373 ऋषभ अपार्ट, 37 फ्लोर, डॉ पारेख मार्ग प्रार्थना समाज मुम्बई 400004

—प्रार्थी—

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व), श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानर

—अप्रार्थी—

उपस्थितिः—

1. श्री बजरंग शर्मा अभिभाषक प्रार्थी।
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 एलआर एक्ट

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी का प्रार्थनापत्र निम्नानुसार सादर प्रस्तुत है कि रोही ग्राम बिग्गा तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर के वर्तमान खसरा नम्बर 1675 / 1629, 1628 / 522, 1690 / 1676, 1691 / 1676, 1692 / 1676, 1693 / 1676, 1728 / 1694, 1695 / 1676, 1696 / 1676 पूर्व में जमाबन्दी संवत् 2069—2072 में खाता संख्या नया 56 अन्तर्गत खसरा नम्बर 522 क्षेत्रफल 2.3000 हैक्टेयर रोही बिग्गा तहसील श्रीडूंगरगढ़ ओमप्रकाश पुत्र चेतराम जाति चमार साकिन भगोला तहसील मुण्डावर जिला अलवर के नाम दर्ज खातेदारी भूमि थी और मौके पर पूरा एकल खेत था। वादगत खेत खसरा नम्बर 522 में सें भागीरथ पुत्र सुरजाराम जाति मेघवाल निवासी बिग्गा को 0.2500 हैक्टेयर विक्रय किया गया जिसके खसरा नम्बर 1630 / 522 कायम हुए। वादगत खेत खसरा नम्बर 1629 / 522 तादादी 2.0475 हैक्टेयर मूल खातेदार ओमप्रकाश की रही। ततपश्चात मूल खातेदार ओमप्रकाश नें 0.2500 हैक्टेयर भूमि आवासीय रूपान्तरित करवा ली। खसरा नम्बर 1629 / 522 का पुनः विभाजन हुआ जिसके नये खसरा नम्बर 1675 / 522 तादादी 0.2500 हैक्टेयर गै. मु.आ. व 1676 / 522 तादादी 1.7975 हैक्टेयर कायम हुए। मूल खातेदार ओमप्रकाश नें खेत खसरा नम्बर 1676 / 522 तादादी 1.7975 हैक्टेयर रोही बिग्गा का विक्रय खीयाराम पुत्र पुराराम मेघवाल को 0.2975 हैक्टेयर, लालचन्द पुत्र खींयाराम, सुरजादेवी पत्नी खिंयाराम, रामेश्वरलाल पुत्र पुराराम, चीनादेवी पत्नी लालचन्द, सन्तुदेवी पत्नी रामेश्वरलाल, चन्दुराम पुत्र रामेश्वरलाल जातियान मेघवाल निवासीगण जेतासर को प्रत्येक को 0.2500 हैक्टेयर कृषिभूमि विक्रय कर दी। लालचन्द पुत्र खींयाराम, सुरजादेवी पत्नी खिंयाराम, रामेश्वरलाल पुत्र पुराराम, चीनादेवी पत्नी लालचन्द, सन्तुदेवी पत्नी रामेश्वरलाल जातियान मेघवाल निवासीगण जेतासर नें अपनी सयुक्त [illegible] कृषिभूमि का सहमति सें खाता विभाजन करवा लिया। विभाजन में [illegible] 8 / 1676 तादादी 0.3000 हैक्टेयर खींयाराम, खसरा नम्बर 1689 / 1676 तादादी 0.[illegible]0 हैक्टेयर लालचन्द, खसरा नम्बर 1690 / 1676 तादादी 0.2500 हैक्टेयर सुरजादेवी, खसरा नम्बर 1691 / 167[illegible] तादादी 0.2500 हैक्टेयर रामेश्वरलाल, खसरा नम्बर 1692 / 1676 तादादी 0.2500 हैक्टेयर चीनादेवी, खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.11.06 11:57:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

नम्बर 1693/1676 तादादी 0.2500 हैक्टेयर चन्दुराम, खरारा नम्बर 1694/1676 तादादी 0.2500 हैक्टेयर सन्तुदेवी के विभाजन में कायम हुए जो आगे चलकर 1690/1696, 1691/1676, 1692/1676, 1693/1676, 1694/1676, 1695/1676, 1696/1676 कायम हुए। उक्त पैरा संख्या 05 में उल्लेखित खसरान के खातेदारान द्वारा अपनी अपनी भूमि का भूरूपान्तरण आवसीय प्रयोजनार्थ में करवा लिया गया। रूपान्तरण में चीनादेवी की खातेदारी कृषिभूमि तादादी 0.2500 हैक्टेयर कृषिभूमि में सें 0.2166 हैक्टेयर आवासीय रूपान्तरित व 0.0334 हेक्टेयर बारानी रही जिसके नये खसरा नम्बर 1728/1694 व 1729/1694 कायम हुए । उपरोक्त मूल खसरा नम्बर 522 के वर्तमान खसरा नम्बर 1675/1629, 1628/522, 1690/1676, 1691/1676, 1692/1676, 1693/1676, 1728/1694, 1695/1676, 1696/1676 हैं जिसें प्रार्थी नें जरियें कार्यालय उप पंजीयक श्रीडूंगरगढ़ में पंजीकृत विक्रयपत्र के द्वारा खरीद कर लिया तथा वादगत सम्पूर्ण खसरान की भूमि आज दिनांक तक प्रार्थी के ही कब्जा, उपयोग उपभोग में चली आ रही है एवं प्रार्थी वादगत खसरान का एकमात्र तन्हा मालिक है और काबिज है। प्रार्थी नें वादगत खसरान की भूमि के नक्शो का अवलोकन किया तो नक्शो में भारी विविधता एवं मौके एवं भूरूपान्तरण आदेश एवं मौका सें बिलकुल ही विपरित है। भू रूपान्तरण आदेश एवं मौका अनुसार रिकार्ड में नक्शा दर्ज करते समय पूर्वी तरफ से लगातार खसरावार तरमीम की जानी चाहिए थी परन्तु हल्का पटवारी द्वारा इसके विपरित पश्चिमी तरफ से लगातार पूर्वी तरफ वादगत खसरान के नक्शा की तरमीम किये जाने के कारण वादगत भूमि के वर्तमान राजस्व रिकार्ड के नक्शा अक्स भू रूपान्तरण आदेश के नक्शानुसार एवं मौका के नक्शा भिन्नता होने से वादगत खसरान के नक्शा अक्स में अशुद्धि उत्पन्न हो गई। हल्का पटवारी द्वारा वादगत खसरान के नक्शा अक्स में खसरा नम्बर लिखते समय वादगत खसरान के नक्शा की तरमीम पूर्व सें पश्चिम की ओर क्रमशः खीयाराम, लालचन्द, सुरजादेवी, चीनादेवी, चन्दुराम, सन्तुदेवी की लगातार दर्ज की जानी थी लेकिन हल्का पटवारी द्वारा वादगत खसरान की तरमीम करते समय पूर्व से पश्चिम की बजाय पश्चिम सें पूर्व की ओर क्रमश खीयाराम, लालचन्द, सुरजादेवी, चीनादेवी, चन्दुराम, सन्तुदेवी कर दी जो नजरी नक्शा में लाल रंग में दर्शाया गया है। नक्शा की भिन्नता के चलते प्रार्थी का काफी असुविधा एवं प्रार्थी के हितो पर विपरित असर हो रहा हैं। प्रार्थी नें वादगत खसरान के नक्शा अक्स में शुद्धि हेतु अप्रार्थी सें दिनांक 30.08.2024 को मिला तथा वादगत खसरान के नक्शा अक्स की शुद्धि का निवेदन किया तो अप्रार्थी नें अपने क्षेत्राधिकार से बाहर का कार्य बताते हुए सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना ऐसा करने से साफ इंकार कर दिया। प्रार्थी के पास प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नही है। वादगत खसरा नम्बर 1690/1676, 1691/1676, 1692/1676, 1693/1676 व खसरा नम्बर 1728/1694, 1695/1676, 1691/1676, 1675/1629 व 1628/522 रोही बिग्गा तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में होने से प्रार्थनापत्र की सुनवाई का क्षेत्राधिकार श्रीमान्जी को प्राप्त है। प्रार्थनापत्र पूर्ण न्यायालय शुल्क एवं जानकारी के अन्दर मियाद श्रीमान्जी के समक्ष प्रस्तुत है । अतः प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर श्रीमान्जी से निवेदन है कि वादगत खसरा नम्बर 1690/1676, 1691/1676, 1692/1676, 1693/1676 व खसरा नम्बर 1728/1694, 1695/1676, 1691/1676, 1675/1629 व 1628/522 रोही ग्राम बिग्गा तहसील श्रीडूंगरगढ़ की तरमिम राजस्व रिकार्ड में भूरूपान्तरण आदेश एवं मौका अनुसार नक्शा अक्स में दर्ज करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.11.06 11:57:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलव किया। अप्रार्थी की ओर से पैरोकारराज ने जवाब पेश किया। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। संक्षेप में स्टेट को प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार करनें में आपति नहीं होने व प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

खेत खसरा नम्बर 1690/1676, 1691/1676, 1692/1676, 1693/1676 व खसरा नम्बर 1728/1694, 1695/1676, 1696/1676, 1675/1629 व 1628/522 रोही ग्राम बिग्गा तहसील श्रीडूंगरगढ़ की तरमीम राजस्व रिकार्ड में मुताबिक खाता विभाजन प्रस्ताव दिनांक 12.03.13 में अंकित नक्शा अनुसार किये जानें को आदेश दिये जाते है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें।

आदेश आज दिनांक 05.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.11.06 11:57:12 IST
Reason: SelfAttested